न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 9.12.19

मि.न.132/2019

सरकार बनाम छाजू
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1551/0.94 है0 किस्म गै0मु0 मेंसे 0.02 है0पर श्योराम पुत्र साधूराम जाति कुम्हार निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली ने मकान वद दुकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है गैर सायल उक्त आराजीयात पर गैर सायल कई अर्से कदीमी से काबिज चला आ रहा है । तथा गैर सायल को आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि आवंटन की गई है। गैर सायल ने दस्तावेज पेश किये जो संलग्न पत्रावली हैं। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब से स्वतः ही उक्त आराजीयात पर गैर सायल का अतिक्रमण सिद्व होता है गैर सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार गैर सायल को आबादी भूमि आवंटन की गई है। जबकि खसरा नंबर 1551/0.94है0 वाके ग्राम नारहेडा की किस्म गै0 मु0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो भराव क्षेत्र है। जिस पर अतिक्रमण कर जोहड के स्वरूप को क्षति पहूचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं। अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।। चूकि गैरसायल के जवाब के अनुसार प्रतीत होता है कि गैरसायल के पास उक्त उक्त मकान के अलावा रहवास के लिए रहने के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है चूकि श्योराम पुत्र साधूराम

तहसीलदार
कोटपूतली जिला

Scanned by CamScanner

कुम्हार जाति से सम्बद्व रखता है जो एक जो एक गरीब जाति है राज्य सरकार की लोक नीति के अनुसार इनके उचित रहवाास की व्यवस्था के लिए विभिन्न योजनाऐं संचालित हैं।अतः गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल करने हेतु ग्राम पंचायत से गैरसायल के रहवास की व्यवस्था करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः गैर सायल श्योराम पुत्र साधूराम जाति कुम्हार निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1551/0.94है0,किस्म जमीन गै0मु0 मे से 0.02है0 पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा ग्राम पंचायत नारहेडा को आदेशित किया जाता है कि वह अतिक्रमि श्योराम पुत्र साधूराम जाति कुम्हार की रहवास की व्यवस्था नियमानुसार करे तत्पश्चात हल्का गिरदावर बेदखली की कार्यवाही कर रिर्पोट करे। गैरसायल श्योराम पुत्र साधूराम जाति कुम्हार निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1551/0.94है0 नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी .60रू. का पचास गुणा 30रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। उक्त मकान में जारी शुदा विधुत कनैक्श विच्छैद की कार्यवाही हेतु ज0वि0वि0लि0कोटपूतली को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 9.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner